प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.1.2003 में उपस्थित अधिकारियों / सदस्यों की उपस्थित सूची ।

क0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सुभाष कुमार,	आयुक्त	[signature] 17/1/03
2	पी० के० महान्ति	सचिव, नगर विकास, आवास व पेयजल	[signature] 17/1/03.
3	के० सी० मिश्र	अपर सचिव, वित्त [illegible]	[signature] 17/1
4	विनोद प्रसाद रतूड़ी,	अपर जिलाधिकारी (वित्त).	[signature] 17/01
5	बृज बी० रतन	प्रभारी अधिकारी नगर [illegible] [illegible]	[signature] 17/1/03
6	डॉ० पी० के० पाण्डे,	मुख्य अभियंता (गढ़वाल), उत्तरां० पेयजल निगम, देहरादून	[signature] 17/1/03
7			
8			
9			
10			

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आख्या

आयुक्त / अध्यक्ष,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 17.1.2003 की कार्यवाही सम्मुख संलग्न कर इस आशय से भेजी जा रही है, कि कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करनें का कष्ट करें।

21/01/03

उपाध्यक्ष,

Secy / DS

27/1

58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.1.2003

आज दिनांक 17.1.2003 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः—

1	श्री सुभाष कुमार,आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री पी0के0मोहन्ति,सचिव आवास, उत्तरांचल शासन	सदस्य
3	डा0 एस0एस0संधू,उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
4	श्री के0सी0मिश्रा, अपर सचिव वित्त,उत्तरांचल शासन	प्रतिनिधि सदस्य
5	श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, अपर जिला मजिस्ट्रेट	प्रतिनिधि सदस्य
6	श्री बृज बी0रतन, प्रभारी नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य

अन्य उपस्थितिः—

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
2. मुख्य नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3. उपसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
4. अनुसचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
5. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
6. सहायक नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरूदन।
7. सहायक लेखाधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गई तथा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

गत बोर्ड बैठक दिनांक 6.8.2001 की कार्यवाही व अनुपालन आख्या पर किसी भी सदस्य की न तो कोई टिप्पणी प्राप्त हुई और न ही बैठक में टिप्पणी की गई। अतः सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही व अनुपालन आख्या अनुमोदित की गई। इसके पश्चात् एजेण्डा में प्रस्तुत बिन्दुओ पर निम्नानुसार विचार किया गया।

विषय कमांक:1 — वित्तीय वर्ष 2002–2003 का प्रस्तावित बजट

संशोधित बजट वर्ष 2001–2002 व प्रस्तावित बजट वर्ष 2002–2003 स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सहा0लेखाधिकारी)

विषय कमांक:2 — मसूरी देहरूदन विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अर्न्तगत ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नीति का सरलीकरण।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(कार्यवाही मु0न0नियोजक)

विषय कमांक: 3 — प्रोरेट आधार पर अनाधिकृत रूप से भूमि के सबडिवीजन में भवन मानचित्र स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही मु0न0 नियोजक)

विषय कमांक:4 — कृषि भू–उपयोग में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अर्न्तगत फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन की अनुमति पर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि पूर्व बोर्ड बैठक मे फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में पारित मार्गदर्शिका में निर्धारित नियम एवं शर्ते यथावत् रखते हुए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत लेने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

(कार्यवाही मु0न0 नियोजक)

विषय कमांक:5

खसरा नम्बर 203(एम) अजबपुर कलॉ में भू–उपयोग नदी एवं नाले से भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में नगर निगम की भूमि है अतः पहले नगर निगम व तहसील से पूर्ण रूप से परीक्षण करा लिया जाये। उसके पश्चात् भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

(कार्यवाही मुख्य न0 नियोजक)

विषय कमांक:6

मौजा अजबपुर कलॉ के खसरा संख्या 200 का भू–उपयोग महायोजना में आंशिक प्रस्तावित बाईपास रोड एवं शेष नदी–नाले को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में नगर निगम की भूमि है अतः पहले नगर निगम व तहसील से पूर्ण रूप से परीक्षण करा लिया जाये। उसके पश्चात् भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

(कार्यवाही मु0 न0 नियोजक)

विषय कमांक:7

आवासीय भूउपयोग से एफ–1, एजुकेशनल यूज,इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज (IMS) मे परिवर्तन के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव मे चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में है अतः मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

(कार्यवाही मु0 न0 नियोजक)

विषय कमांक:8

डी0के0इन्स्टीटयूट के मानचित्र संख्या 244/2002–03 ग्राम कुल्हान मानसिंह वाला सहस्त्रधारा रोड के स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्येत्तर अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाही मु0 न0 नियोजक)

विषय कमांक:9

मौजा कांवली खसरा नम्बर 1433,1435 एवं 1446 का भू–उपयोग पब्लिक एण्ड सेमी पब्लिक फेसिलिटिज एफ–3 (स्वास्थ्य) से आवासीय में किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विषय में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग देहरादून नगर महायोजना में एफ–3(स्वास्थ्य) में प्रदर्शित है। स्वीकृत तलपट मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 64 तक अंकित है। इस भूखण्ड के साथ में 64 ए एवं 64 बी तक चार भूखण्ड है जिनमें पूर्व भूखण्ड संख्या 64 सी एवं 64 डी में भवन मानचित्र आवासीय

भू–उपयोग मानते हुए स्वीकृत है तथा मौके पर भवन भी निर्मित है। 64 ए एवं 64 बी वर्तमान में रिक्त है अन्य स्वीकृत मानचित्रो के अनुसार इनमें भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

(कार्यवाही मु0 न0 नियोजक)

विषय कमांक:10

भवन मानचित्र संख्या 108/02–03 श्री शालीन सिंह, ग्राम बद्रीपुर में खसरा नम्बर 433,435 एवं 436 पर एक मंजिले प्राइमरी स्कूल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही मु0 न0 नियोजक)

विषय कमांक:11

मानचित्र संख्या 979/2000–2001 सनातन धर्मार्थ समिति की पत्रावली में स्वीकृति हेतु लिये जाने वाले शुल्को को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त मानचित्र में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा विकास शुल्क आदि रूपये 1,11,943/– स्वीकृत किया गया था जिसमें से 70,000/– रूपये जमा करते हुए मानचित्र निर्गत किया जा चुका है शेष धनराशि रू0 41,943/– का प्रस्ताव विचारार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा गया जिसमें बोर्ड द्वारा शेष धनराशि जमा कराने हेतु पत्र भेज दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही म0न0नि0)

विषय कमांक:12

ग्राम वीरावाड़ी में कृषि भू–उपयोग मे हाई क्यू इन्टरनेशनल स्कूल के भवन मानचित्र को शमन करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 16 ग्राम वीरावाड़ी के साथ खसरा नम्बर 561 व 572 तक ग्रम चौकी को मिलाते हुए शमन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है इनमें से कुछ खसरा नम्बर मसूरी क्षेत्र के अर्न्तगत आते है। चूंकि मसूरी में Forest conservation Act लागू है, अतः उक्त के आधार पर मानचित्र का परीक्षण कर लिया जाये। यदि मानचित्र स्वीकृति योग्य हो तो इसे अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही मु0न0नियोजक)

विषय कमांक:13

इंजीनियर्स इन्कलेव फेस–3 में आवासीय भू–उपयोग में मानचित्रो की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

इंजीनियर्स इन्कलेव फेस–3 में आवासीय भू–उपयोग के शेष मानचित्रो को स्वीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही मु0न0नियो0)

(196)

विषय कमांकः14 — प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचारोपरान्त नगरीय अवस्थापना सुविधाओ के लिए अधिग्रहण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः 15 — प्रमाणित प्रतिलिपि, अपील,निरीक्षण,मानचित्र प्रतिलिपि, शिकायती पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रति जारी करने एवं शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त उक्त प्रतिलिपियो के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्ष 1986 से इन दरो पर कोई बढ़ोतरी नही हुई है अत निम्न प्रकार से शुल्को का निर्धारण किया गयाः–

1 नोटशीट	50 रूपये
2 अन्य अभिलेख	50 रूपये
3 मानचित्र की प्रमाणित प्रति	
क. व्यावसायिक	200 रूपये
ख. आवासीय	100 रूपये
4 अपील शुल्क	
क. व्यावसायिक/तलपट मा0	200 रूपये
ख. आवासीय	50 रूपये
5 निरीक्षण शुल्क	50 रूपये

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः16 — प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक/शहरी विकास योजनाओं का कियान्वयन सहभागित के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(कार्यवाही अधि0अभियंता)

विषय कमांकः17 — अरबन डेवलपमेंट से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रो के कन्सलटैन्ट रखे जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(कार्यवाही अधि0 अभियंता)

विषय कमांकः 18

इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेस–3 नवयुग इन्केलव में भवनो के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान समय में विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानो द्वारा 10 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है अतः आवंटी से आवंटन की दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाये।

(कार्यवाही अधि0अभि0 / सहा0लेखाधिकारी)

विषय कमांकः19

श्रीमती सीमा सिंह उपसचिव का गुर्दा प्रत्यारोपण उपरान्त उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए आगणन रूपये 4,90,000.00 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एस0 जी0पी0जी0आई लखनऊ द्वारा प्रदत्त आगणन की स्वीकृति के साथ ही निर्णय लिया गया कि चूंकि गुर्दा प्रत्यारोपण के उपरान्त इलाज लगातार चलता है अतः शासनादेश संख्या 475/न0वि0/अभि0–2001–29 न0वि0/आ0–2001 दिनांक 17 फरवरी 2001 के प्रावधानो के अर्न्तगत भविष्य हेतु रूपये 50,000/– तक अग्रिम स्वीकृत किया जाये तथा एक अग्रिम के समायोजन उपरान्त पुनः अग्रिम दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः20

प्राधिकरण में मा0 न्यायालयों सम्बन्धी प्रकरणों में विधिक राय प्राप्त करने हेतु एक विज्ञ अधिवक्ता को संविदा पर रखने हेतु।

उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः21

प्राधिकरण कर्मी स्व0 श्री कुलविन्दर सिंह के भवन संख्या 119 एच0आई0जी0 प्रथम इन्दिरापुरम फेस–1 आवासीय योजना पर आरोपित दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

इस बिन्दु पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भवन का मूलधन जमा करवा लिया जाये तथा अध्यावधिक दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाये। इस प्रकरण को दृष्टान्त न बनाये जाने के निर्देश देते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य मे इस प्रकार के प्रकरणो में शासन के निर्देशो के कम में कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही अनुसचिव)

विषय कमांकः22

प्राधिकरण सेवा के (केन्द्रीयित/अकेन्दीयित) कार्मिको को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान अपर सचिव वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन द्वारा शीघ्र ही नीति लागू की जाने वाली है. उसी के आधार पर प्राधिकरण में नीति तैयार की जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि कर्मचारी वेलफेयर फण्ड बनाने पर भी प्राधिकरण विचार कर लें।

(कार्यवाही उपसचिव)

विषय कमांकः23

प्राधिकरण द्वारा आई0एस0बी0टी0 एवं देहरादून माल योजना को बी0ओ0टी के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में।

इस बिन्दु पर द्वितीय पैरा पर मंत्रीमण्डल के स्थान पर शासन लिखने हेतु निर्देश दिये गये तथा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही अधिशासी अभि0)

अनुपूरक विषय कमांकः01

द्रोणाज इन्टरनेशनल स्कूल सोसाइटी ग्राम कालागॉव सहस्त्रधारा रोड के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस बिन्दु पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मानको के आधार पर परीक्षण कर लिया जाये यदि मानक पूरे पाये जाते है तो भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये। अपर जिलाधिकारी, वित्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस भूमि से लगती हुई ग्राम समाज की भी भूमि है। उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अतिकमण के सम्बन्ध में परीक्षण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मु0न0नियो0)

अनुपूरक विषय कमांकः02

अभिनव शिक्षण संस्थान (अनाथ आश्रम) ग्राम किरसाली के भवन मानचित्र की स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 1152/97–98 पर कार्योत्तर स्वीकृति के रूप में अनुमोदन एवं आशिंक विचलन को यदि शमनीय है तो शमन कर दिया जाये।

(कार्यवाही मु0न0नियो0)

अनुपूरक विषय
कमांक:3

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में भूमि अर्जन हेतु हडको से रूपये 44.80 करोड़ ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

चूंकि भूमि अर्जन के पश्चात् आवासीय योजना शीघ्र प्रारम्भ की जानी है अतः शासकीय गारन्टी लिये जाने एवं तीनो संकल्प (Resolution) पारित किये जाने के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी)

अनुपूरक विषय
कमांक:4

प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न कालोनियों में मौहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुनिश्चत करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही अधि0 अभियंता)

अनुपूरक विषय
कमांक:5

ट्रान्सपोर्ट नगर के ले–आउट में प्रस्तावित 80 फीट चौड़े मुख्य मार्ग के मध्य आ रही भूमि के बदले ट्रान्सपोर्ट नगर में ही भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री वालिया श्रीमती हरभजन कौर एवं श्रीमती तैजिन्द्र कौर को भूमि दिये जाने की दशा में नवीन स्थल पर आवंटित भूखण्डो पर प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्टनगर के लिये किये गये व्यय के आधार पर विकास शुल्क आंकलित करते हुए इसी दर पर विकास शुल्क लिया जाये।

(कार्यवाही सचिव/अधि0 अभि0)

अनुपूरक विषय
कमांक:6

हरिद्वार रोड पर शास्त्रीनगर आवासीय कालोनी लेन नम्बर–1 खसरा नम्बर 38 अजबपुर कलॉं में नर्सिंग होम (अस्पताल) कर मानचित्र संख्या सी–75/2000–2001 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि भू–परिवर्तन शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन मांग लिया जाये।

(कार्यवाही मु0न0नियो0)

(डा0 एस0एस0संधू) उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।	(सुभाष कुमार) आयुक्त/अध्यक्ष म0दे0वि0प्रा0देहरादून।